

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।
पत्र संख्या 2607/ 14-1 दिनांक, मेरठ, 22 नवम्बर, 2021।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
मेरठ वृत्त, मेरठ

विषय:- **Construction of 6 Lane 'Ganga Expressway' (Expandable upto 8 Lane), an access controlled Green field Expressway in district Meerut, Hapur, Bulandsahar, Amroha, Sambhal, Badaun, Shahjahanpur, Hardoi, Unnao, Raibareli, Partapgarh & Paryagraj, (CH 7+900-CH 601+847 Km) total length 593.947 Kms. Proposal No. FP/UP/ROAD/144793/2021**

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 1569/11-सी-FP/UP/ROAD/144793/2021 , लखनऊ दिनांक: 22.11.2021

महोदय,

विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव से सम्बंधित सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ जनपद मेरठ में परियोजना के संरेखण में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी मेरठ, मेरठ के पत्रांक 386/14-1 दिनांक: 20.02.2021 के द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारी मेरठ एवं यूपीड़ा कार्यालय से नामित श्री योगेश परिहार की संयुक्त स्थलीय जाँच आख्या के अनुसार हापुड़-किठौर मार्ग के कि०मी० 14 की दोनो पटरी पर वन विभाग स्वामित्व के 35 वृक्ष बाधक हैं तथा खरखौदा-कौल मार्ग के कि०मी० 04 की दोनो पटरी पर वन विभाग स्वामित्व के 12 वृक्ष बाधक हैं, अर्थात् वन विभाग स्वामित्व के कुल 47 वृक्ष बाधक हैं। परियोजना में जनपद मेरठ में प्रभावित होने वाली भूमि संरक्षित वन भूमि शून्य है अर्थात् असंरक्षित क्षेत्र में है, इसलिए FCA 1980 के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

भवदीय,

(राजेश कुमार)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

संख्या 2607/14-1 / 22.11.2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

O/C

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।